

एम एस एम ई- विकास कार्यालय  
सूक्ष्म, नघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  
भारत सरकार  
11-ए, औद्योगिक विकास कॉलोनी, कुंजपुरा रोड  
करनाल- 132001 (हरियाणा)



MSME Development & Facilitation Office  
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises  
Govt. of India  
11-A, IDC, Kunjpura road  
Karnal- 132001 (Haryana)

क्र: राजभाषा/2/2019

दिनांक: 10.08.23

### कार्यालय आदेश

विषय : संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए जांच बिन्दुओं की स्थापना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के तहत जारी निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्तावित जांच बिन्दुओं को कार्यान्वयित किया जाना अपेक्षित है। इस नियम के अन्तर्गत यह अनिवार्यतः अपेक्षित है कि संलग्न अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मदों पर अनुलग्नक-2 में घोषित जांच बिन्दु के अनुसार सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना सभी कार्यालयीन कार्य हिन्दी में निष्पादित करें।

इस आदेश की अवहेलना को संघ की राजभाषा नीति के सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। अतः राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अद्यतन वर्ष में उल्लिखित मदवार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इन जांच बिन्दुओं का अक्षरक्षण पालन किया जाए।

  
(संजीव चावला)  
निदेशक

### वितरण(सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) :

- सभी प्रभाग व अनुभाग के अध्यक्ष/ सहायक निदेशक ।
- संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण।
- उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
- हिन्दी अनुभाग, मुख्यालय विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली ।
- सचिव, नराकास करनाल ।

एम.एस.एम.ई- विकास कार्यालय, करनाल में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु स्थापित जांच बिन्दु:

क्र.	विषय	जांच बिन्दु
1	<u>धारा 3(3)</u> के तहत सामान्य आदेश व दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में जारी करना- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी 14 प्रकार के दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी होने चाहिए। इन 14 प्रकार के दस्तावेजों में संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन व राजकीय कागज-पत्र, संविदायें, करार, अनुज्ञापत्र, सूचनाएं और निविदा-प्रारूप आदि आते हैं।	सभी प्रभागाध्यक्ष/ सहायक निदेशक प्रशासन
2	<u>मूल पत्राचार-</u> 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले मूल पत्र 100 प्रतिशत हिन्दी में भेजे जाएंगे।	-तदैव-
3	<u>रबड़ की मोहरों, नामपटों, साइन-बोर्ड, बैनरों, स्टेशनरी, फॉर्म आदि का द्विभाषी प्रयोग-</u> सभी प्रभाग/अनुभाग के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सभी रबड़ की मोहरें, नामपट, साइन-बोर्ड, बैनर, स्टेशनरी, फॉर्म आदि हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में ही तैयार कराए जाएं। इनमें हिन्दी पंक्ति सदैव ऊपर रखी जाएगी।	-तदैव-
4	<u>हिन्दी पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिया जाना व 'क' एवं 'ख'</u> क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया जाना- राजभाषा नियम 5 के तहत हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में दिए जाने की जिम्मेदारी उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएं।	-तदैव-
5	<u>द्विभाषी प्रकाशन-</u> फॉर्मों, कोडों, मैनुअलों तथा राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचनाओं को द्विभाषिक रूप में तैयार कराया जाएगा।	-तदैव-
6	<u>सभी प्रकार के कंप्यूटरों की द्विभाषी समर्थित रूप में खरीद-</u> सभी प्रकार के कंप्यूटरों की खरीद के मामले में जांच बिन्दु यह होगा कि इन उपकरणों का इन्डेट करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी को यह देखना होगा कि सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषा अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप करने की सुविधा होनी चाहिए। यदि पूर्व में खरीदे गए कंप्यूटरों में हिन्दी फॉन्ट एवं यूनिकोड में कार्य करने की सुविधा नहीं है तो उसे राजभाषा एक से संपर्क कर अद्यतन(अपडेट) कराया जाएगा तथा खरीदे गए कंप्यूटरों में हिन्दी फॉन्ट एवं यूनिकोड सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लोड होना सुनिश्चित किया जाएगा।	सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
7	<u>लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना-</u> प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच बिन्दु के रूप में कार्य करेगा कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाएंगे। "ग" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों में द्विभाषी पते लिखे जाएंगे।	संबंधित प्रभारी व डाक प्रेषक
8	<u>सेवा पुस्तिकाओं में इन्दराज-</u> सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां केवल हिन्दी में की जाएं। सेवा पुस्तिका के ऊपर कार्मिकों के नाम इस प्रकार द्विभाषी लिखे जाएंगी कि हिन्दी पंक्ति सदैव ऊपर रहे।	सहायक निदेशक (प्रशासन)/कार्यालय अधीक्षक व लिपिक
9	<u>रजिस्टरों व आंतरिक डाक रजिस्टरों में इन्दराज-</u> सभी रजिस्टरों व आंतरिक डाक रजिस्टरों में हिन्दी में इन्दराज किए जाएंगे। तकनीकी शब्दों को द्विभाषी में लिखा जाएगा।	-तदैव-
10	<u>सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की जिम्मेदारी-</u> सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की डेस्क को भी जांच बिन्दु बनाया जाता है। सभी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी उनके पास प्रस्तुत की जाने वाली डाक में अपनी अभ्युक्ति देने/हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कामकाज में राजभाषा नियमों का पालन हो रहा है। वे विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को भी सुनिश्चित करेंगे - <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ हिन्दी पत्रों का हिन्दी में जवाब भेजा जा रहा है।</li> <li>➢ हिन्दी की कार्यालय टिप्पणियों पर हिन्दी में ही अभ्युक्ति/आदेश दिए जाते हैं।</li> <li>➢ हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों/डाक आदि पर केवल हिन्दी में ही अभ्युक्ति/मार्किंग की जाती है।</li> <li>➢ भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेखित न्यूनतम लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।</li> </ul>	सभी प्रभागाध्यक्ष, सहायक निदेशक (प्रशासन)/ एवं कार्यालय अधीक्षक

## जांच बिन्दुओं की स्थापना हेतु

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	सर्वश्री / श्रीमती		
1	संजीव चावला	निदेशक	संजीव PA 16/8/23
2	सत पाल	सहायक निदेशक	सत पाल (6/8) 2023
3	के० सी० मीणा	सहायक निदेशक	के० सी० मीणा 16/8/23
4	मुकेश दर्मा	सहायक निदेशक	मुकेश दर्मा 16/8/23
5	रवि प्रकाश	सहायक निदेशक	रवि प्रकाश 16/8/23
6	मीनू धीमान	सहायक निदेशक	
7	फूल सिंह	सहायक निदेशक	फूल सिंह
8	हरपाल सिंह	इनवैस्टिगेटर	हरपाल सिंह
9	सुदेश सलूजा	आशुलिपिक	सुदेश 16/8/23
10	बलराज सिंह	आशुलिपिक	बलराज 16/8/23
11	सुभाष कुमार	आशुलिपिक	सुभाष 16/8/23
12	पूनम सलूजा	आशुलिपिक	पूनम 16/8/23
13	जगबीर सिंह	आशुलिपिक	जगबीर 16/8/23
14	राजीव कुमार	कार्यालय अधीक्षक	राजीव 16/8/23
15	बाबू राम	उच्च श्रेणी लिपिक	बाबू राम
16	तनुज	अवर श्रेणी लिपिक	तनुज 16/8/23
17	केतन	अवर श्रेणी लिपिक	केतन 16/8/23
18	अमर जीत	अवर श्रेणी लिपिक	अमर जीत 16/8/23
19	देवेन्द्र नाथ	मल्टी टास्किंग स्टाफ	देवेन्द्र 16/8/23
20	शिव कुमार	मल्टी टास्किंग स्टाफ	शिव कुमार 16/8/23
21	सोनू	मल्टी टास्किंग स्टाफ	सोनू 16/8/23
22	नवीन	मल्टी टास्किंग स्टाफ	नवीन 16/8/23
23	सुभाष	मल्टी टास्किंग स्टाफ	सुभाष 16/8/23